Main Bhi Dilli
Ab Sheher Saath Banayenge

FACTSHEET 2

जीविका : पथ विक्रेता

Photo credits: Rashmi Choudhary for WIEGO

पथ विक्रय शहरी असंगठित रोज़गार के सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूपों में से एक है और शहर के दैनिक संस्कृति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। परंतु अधिकारों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय क़ानून होने के बावजूद रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को परेशान व हटाया जाता है। पथ विक्रेताओं की माँग है कि उनकी अपनी पहचान हो व अपने जीविका के निर्वहन के लिए उचित विक्रय स्थल हों।

मैं भी दिल्ली अभियान एक समावेशी शहर की कल्पना व उसके निर्माण के लक्ष्य के साथ कार्य करने वाला एक जन अभियान है। यह एक सामाजिक संस्थानों, ऐक्टिविस्ट, शोधकर्ताओं, तथा आवास, जीविका, लिंग-भेद, और अन्य अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है।

शहर में पथ विक्रेता

पथ विक्रय भारत में शहरी रोज़गार का क़रीब 11% भागीदारी रखता है और असंगठित रोज़गारों के सबसे प्रत्यक्ष सवरूपों में से एक है। लोग इस रोज़गार को इसके काम निवेश और प्रवेश व निकासी की सुगमता की वजह से अपनाते हैं। 2021 में नैशनल असोसीएशन ओफ़ स्ट्रीट वेंडर्ज़ इन इंडिया (नास्वी) द्वारा किए गये एक शोध में यह सामने आया कि अधिकांश पथ विक्रेता अपने विक्रय के स्थान के क़रीब ही रहते हैं और क़रीब 8 से 12 घंटे तक काम करते हैं जिसमें प्रदर्शन व साफ़ सफ़ाई का समय अलग है। वो अक्सर काम आय वाले अनौपचारिक घरों में रहते हैं जहाँ वो अपना सामान बनाते भी हैं और उसे संग्रह भी करते हैं। पथ विक्रेता काफ़ी कम आमदनी कमाते हैं जो उनके जीविकोपार्जन के लिए ही काफ़ी होता है इसलिए उनके पास ज़्यादा बचत नहीं हो पाती है।

2.5 %

जनसंख्या शहर में पथ विक्रेता हैं (पथ विक्रेता क़ानून के अनुसार)

3.5- 4 लाख

क़रीब लोग दिल्ली में पथ विक्रय में हैं।

30%

विक्रेता महिला हैं।

शहर के प्रति योगदान

अपने परिवार के आय का मुख्य स्त्रोत

सामान तथा सेवाओं के लिए आमँग व आपूर्ति बनाना- बड़े बड़े आपूर्ति की कड़ी का मुख्य हिस्सा

कर के द्वारा सरकार के राजस्व में योगदान

शहर के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा- सुगमता व सुरक्षा में योगदान

शहरी ग़रीबों को कम दाम व किफ़ायती दामों पर सामान व सेवाएँ उपलब्ध करवाना

छोटे से छोटे स्थान पर सामान व सेवाओं की उपलब्धता करवाना व स्थानीय स्त्रोतों के प्रावधान बनाना जिससे पर्यावरण को लाभ हो।

मुख्य मुद्दे

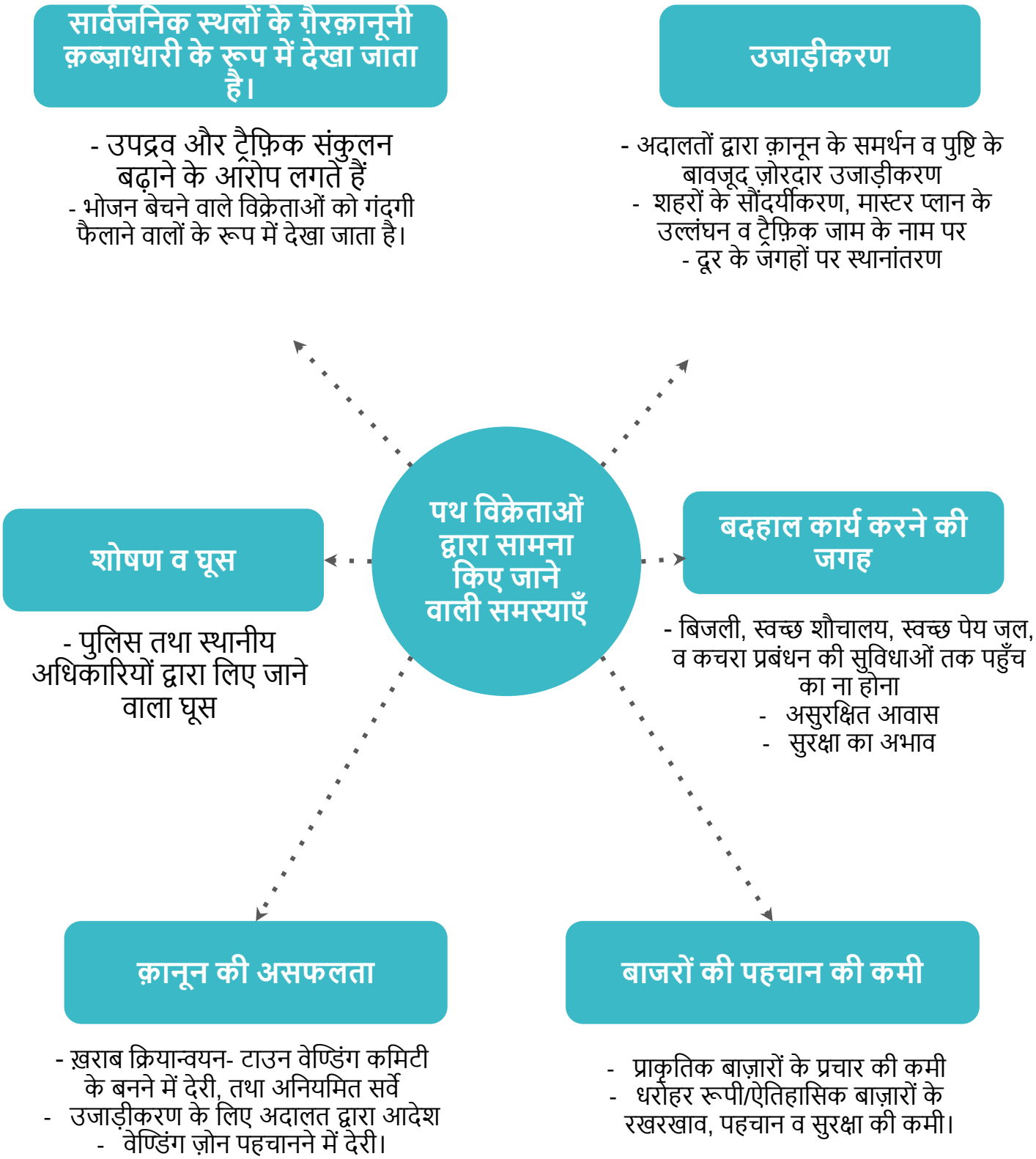
पथ विक्रेताओं द्वारा सामना किए जाने वाली समस्याएँ
सार्वजनिक स्थलों के ग़ैरक़ानूनी क़ब्ज़ाधारी के रूप में देखा जाता है।
- उपद्रव और ट्रैफ़िक संकुलन बढ़ाने के आरोप लगते हैं
- भोजन बेचने वाले विक्रेताओं को गंदगी फैलाने वालों के रूप में देखा जाता है।
उजाड़ीकरण
- अदालतों द्वारा क़ानून के समर्थन व पुष्टि के बावजूद ज़ोरदार उजाड़ीकरण
- शहरों के सौंदर्यीकरण, मास्टर प्लान के उल्लंघन व ट्रैफ़िक जाम के नाम पर
- दूर के जगहों पर स्थानांतरण
शोषण व घूस
- पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा लिए जाने वाला घूस
बदहाल कार्य करने की जगह
- बिजली, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेय जल, व कचरा प्रबंधन की सुविधाओं तक पहुँच का ना होना
- असुरक्षित आवास
- सुरक्षा का अभाव
क़ानून की असफलता
- ख़राब क्रियान्वयन- टाउन वेण्डिंग कमिटी के बनने में देरी, तथा अनियमित सर्वे
- उजाड़ीकरण के लिए अदालत द्वारा आदेश
- वेण्डिंग ज़ोन पहचानने में देरी।
बाजरों की पहचान की कमी
- प्राकृतिक बाज़ारों के प्रचार की कमी
- धरोहर रूपी/ऐतिहासिक बाज़ारों के रखरखाव, पहचान व सुरक्षा की कमी।

दिल्ली मास्टर प्लान'41 पथ विक्रेताओं के लिए क्या कर सकता है?

1 ज़मीन का आरक्षण

- जनसंख्या के 25% जो कि पथ विक्रेता हैं उन्हें सम्मिलित करना
- स्थिर विक्रेताओं के लिए 6*4 फ़ीट तथा घूमने वाले विक्रेताओं के लिए 4*4 फ़ीट स्थान की व्यवस्था
- टीवीसी के सुझाव पर मास्टर प्लान में संशोधन

2 प्राकृतिक बाज़ारों का समावेश

- व्यवसायिक रूप से सुगम स्थानों पर ज़मीन का आरक्षण
- मौजूदा प्राकृतिक व साप्ताहिक बाज़ारों के सर्वे व पहचान की आवश्यकता

3 पथ तथा पटरी की रूपरेखा

- शहरी रूपरेखा के नियमों के अनुसार पटरियों का चौड़ीकरण- गैंडा राम जज्मेंट के अनुसार 9 फ़ीट के पटरी का 4 फ़ीट पथ विक्रेताओं के लिए आवश्यक तथा खुली जगह को 5 फ़ीट से 3 फ़ीट तक घटा बढ़ा सकते हैं।

4 बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान

- उपयुक्त जैन सुविधाओं जैसे शौचालय, ठोस कचरा प्रबंधन, नाली, इत्यादि की सुविधा और साथ में संग्रहण की सुविधा
- महिला विक्रेताओं के लिए ख़ास सुविधाएँ

5 महिला बाज़ार व रात्रि बाज़ार का विकास

- स्थानीय स्तर पर दिल्ली के महिला हाट के मॉडल पर विकेंद्रिकृत महिला बाज़ार
- सभी के लिए सुगम सार्वजनिक स्थल बनाने के उद्देश्य से रात्रि भोजन बाज़ारों का विकास

6 व्यवसायिक क्षेत्रों में अधिक विक्रय स्थलों की व्यवस्था

- जनसंख्या के बढ़ने पर और भी विक्रय स्थल की बढ़ोत्तरी
- योजना नियमों में प्रत्येक औपचारिक इकाई के साथ अनौपचारिक इकाइयों की व्यवस्था।

7 धरोहर/ऐतिहासिक बाज़ार

- ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पहचान के रूप में पहचान व संरक्षण - ख़ास प्रावधानों के साथ विकास की व्यवस्था

8 ज़मीन का लचीला उपयोग

- ऐसे स्थान जहाँ प्राकृतिक बाज़ार आ सकते हैं उन स्थानों पर माहौल तैयार करना
- सामयिक व साप्ताहिक बाज़ारों के लिए स्थायी स्थान की आवश्यकता नहीं।
- ग़ैर अधिकारिक विक्रय क्षेत्रों की सूची के बाहर सभी बाज़ारों को सुगमता

9 नए शहरी माहौल में नए तरह के विक्रय स्थानों का विकास

- विक्रय को पार्क, नहर, पैदल पथ जैसे सार्वजनिक स्थलों के साथ संयोजन किया जाना चाहिए
- कार्यालय के समय के बाद पार्किंग स्थलों का उपयोग
- फ़्लाइओवर के नीचे, मेट्रो स्टेशन के बाहर, तथा पार्किंग स्थलों जैसे जगहों का उपयोग। उदाहरण के लिए- सिंगापुर, लंदन, कैलिफ़ॉर्न्या।
- प्रति बिल्ट उप क्षेत्र के अनुसार जगह का आवंटन।

References:
- NASVI report- 'Overview of street-vendors-A Little History'
- Kumar Vikas (2019), 'For Street Vendors and Hawkers, a Litany of Failed promises' in The Wire.
- Roever, Sally and Caroline Skinner. 2016. "Street Vendors and Cities." Environment and Urbanization 28(2).
-'Ahmedabad's Street Vendors: Realities and Recommendations' as part of Informal Economy Monitoring Study as part of Inclusive Cities project by WIEGO.
-Kumar Dharmendra and Akhtar Masaud (2015), ' Sidelined at the Sidewalk: A study on the state of street vendors in Delhi' for Janpahal.